समझौता था।

1919 का भारत सरकार अधिनियम (माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)

भारत मंत्री लार्ड माण्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। नवम्बर 1917 में भारत मंत्री माण्टेग्यू ने भारत आकर तत्कालीन वायसराय चेम्सफोर्ड एवं अन्य असैनिक अधिकारियों एवं भारतीय नेताओं से प्रस्ताव के बारे में विचार विमर्श किया। एक समिति सर विलियम ड्यूक, भूपेन्द्र नाथ बसु, चार्ल्स राबर्ट की सदस्यता में बनायी गयी, जिसने भारत मंत्री एवं वायसराय को प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने में सहयोग दिया। 1918 में इस प्रस्ताव को प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर 1919 के भारत सरकार अधिनियम का निर्माण किया गया। यह अधिनियम अन्तिम रूप से 1921 में लागू किया गया।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं -

(1) प्रान्तों को हस्तान्तरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम हो गया, केन्द्रीय नियंत्रण बना रहा।

(2) भारतीय कार्य की देख-भाल के लिए एक नया अधिकारी भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। इसे भारतीय राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गयी।

(3) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में से तीन भारतीय नियुक्त किये तथा इन्हें विधि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य व उद्योग विभाग सौंपे गये।

(4) विषयों को पहली बार केन्द्रीय व प्रान्तीय भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय महत्व के विषय पर गवर्नर जनरल सपरिषद् कानून बना सकता था। यह केन्द्रीय सूची का विषय था।

Scanned with CamScanner

प्रान्तीय महत्व के विषयों पर गवर्नर कार्यकारिणी तथा विधान मण्डल की सहमति से कानून बनाता था।

(5) केन्द्र में द्विसदनी व्यवस्था की गयी, पहला सदन राज्य परिषद् था, तो दूसरा केन्द्रीय विधान सभा। केन्द्रीय विधान सभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे गवर्नर जनरल बढ़ा भी सकता था। साम्प्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर सिखों तक सीमित कर दिया गया।

(6) केन्द्रीय विधान मण्डल सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था, तथा उसकी प्रभाविता 6 महीने तक रहती थी।

(7) बजट पर बहस तो हो सकती थी पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।

(8) प्रान्तों में द्वैध शासन लागू किया, प्रान्तीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया - आरक्षित एवं हस्तान्तरित। आरक्षित विषयों का गवर्नर जनरल प्रशासन अपने द्वारा मनोनीत पार्षदों द्वारा करता था तो हस्तान्तरित विषयों का प्रशासन उन मंत्रियों की सहायता से गवर्नर करता था जो विधान मण्डल के निर्वाचित सदस्य थे, परन्तु उनकी पदस्थापना व पदच्युति गवर्नर की इच्छा पर आधारित थी। हस्तान्तरित व आरक्षित विषयों का विभाजन भी दोषपूर्ण था।

द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल 1921 को लागू की गयी जो पहली अप्रैल 1937 तक चलती रही, परन्तु बंगाल में 1924 से 1927 तक और मध्य प्रांत में 1924 से 1926 तक यह कार्य नहीं कर सकी।

इस अधिनियम की महत्वपूर्ण बुराई थी - प्रान्तों में द्वैध शासन की स्थापना एवं साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार।

Scanned with CamScanner